पृ.क्रं.-	
पिछला	अगला

मध्यप्रदेश वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 के अंतर्गत

सालबीज एवं कुल्लू गोंद का संग्रहण

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा पंचायत उपबन्ध (अधिसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 के लागू होने के फलस्वरूप भारतीय वन अधिकार अधिनियम 1927 एवं अन्य संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लघुवनोपज सालबीज एवं कुल्लूगोंद संग्रहण के संबंध में टीप प्रस्तुत है।

1. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 जिसे संक्षेप में पेसा एक्ट के नाम से जाना जाता है, की धारा 4 (3) (ii) में प्रावधान किया गया है कि राज्य की विधायिका यह सुनिश्चित करेगी कि समुचित स्तर पर पंचायतों एवं ग्राम सभा को लघु वनोपजों के स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया जाये ।

2. अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का अधिनियम संख्यांक 2) दिनाँक 1 अगस्त 2008 से प्रभावशील है।

3. वन में निवास करने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के, जो ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, किन्तु उनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सका है, वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और निहित करने, वन भूमि में इस प्रकार निहित वन अधिकरों को अभिलिखित करने के लिए संरचना का और वन भूमि के संबंध में अधिकरों को ऐसी मान्यता देने और निहित करने के लिए अपेक्षित साक्ष्य की प्रकृति का उपबंध करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है ।

4. वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के, मान्यता प्राप्त अधिकारों में, दीर्घकालीन उपयोग के लिए जिम्मेदारी और प्राधिकार, जैव विविधता का संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना और वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों की जीविका तथा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते समय वनों की संरक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करना भी इस अधिनियम में सम्मिलित है।

5. इस अधिनियम की धारा 2 (झ) में दी गई परिभाषा के अनुसार "गौण वन उत्पाद" के अंतर्गत पादप मूल के सभी गैर–इमारती वनोत्पाद हैं, जिनमें, बांस, झाड़ झंखाड़, ठूठ, बैंत, तुसार, कोया, शहद, मोम, लाख, तेंदू या केंदू पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां, मूल, कन्द और इसी प्रकार के उत्पाद सम्मिलित है।

6. इस अधिनियम की धारा 2 (ण) के अनुसार "अन्य परम्परागत वन निवासी" से ऐसा कोई सदस्य या समुदाय अभिप्रेत है, जो 13 दिसम्बर, 2005 से पूर्व कम से कम तीन पीढ़ियों तक प्राथमिक रूप से वन या वन भूमि में निवास करता रहा है और जो जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए उन पर निर्भर है। इस खंड के प्रयोजन के लिए "पीढ़ी" से पच्चीस वर्ष की अवधि अभिप्रेत है,

7. इसी प्रकार अधिनियम की धारा 2(त) में "ग्राम" से निम्नलिखित अभिप्रेत है–

(i) पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों) अधिनियम, 1996 की धारा 4 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई ग्राम, या

(ii) अनुसूचित क्षेत्रों से भिन्न पंचायतों से संबंधित किसी राज्य विधि में ग्राम के रूप में निर्दिष्ट कोई क्षेत्र, या

(iii) वन ग्राम पुरातन निवास या बस्तियों और असर्वेक्षित ग्राम, चाहे वे ग्राम के रूप में अधिसूचित हों या नहीं, या

(iv) उन राज्यों की दशा में, जहां पंचायतें नहीं है, पारम्परिक ग्राम, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों

8. वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत धारा 3(1) के अनुसार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के सभी वनभूमि पर निम्नलिखित वन अधिकार होंगे, जो व्यक्तिगत या सामुदायिक भूधृति या दोनों को सुरक्षित करते हैं । इस अधिनियम की धारा 3(1) (ग) के अंतर्गत गौण वन उत्पादों पर यह अधिकार दिया गया है – (ग) गौण वन उत्पादों के, जिनका गांव की सीमा के भीतर या बाहर पारंपारिक रूप से संग्रहण किया जाता रहा है स्वामित्व संग्रह करने के लिए पहुंच, उनका उपयोग और व्ययन का अधिकार रहा है।

9. पेसा एक्ट 1996 के परिप्रेक्ष्य में लघु वन उत्पाद प्रबंधन एवं स्वामित्व के संबंध में प्रमुख सचिव, वन द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. का एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा म.प्र. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित (जिसे आगे केवल लघु वनोपज संघ लिखा जायेगा) का अभिमत चाहा गया है । इस परिपेक्ष्य में लघु वनोपज संघ की स्थापना के उद्देश्य एवं पृष्ठभूमि तथा लघु वनोत्पादों के व्यापार से होने वाली आय की वर्तमान में लागू वितरण व्यवस्था एवं अन्य प्रासंगिक मुद्दों पर संक्षेप में प्रकाश डालना युक्तियुक्त होगा ।

10. **लघु (गौंण) वन उत्पादों का स्वामित्व :** पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 जिसे संक्षेप में पेसा एक्ट के नाम से जाना जाता है, की धारा 4 (3) (ii) में प्रावधान किया गया है कि राज्य की विधायिका यह सुनिश्चित करेगी कि समुचित स्तर पर

पंचायतों एवं ग्राम सभा को लघु वनोपजों के स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया जा~~से + पेसा~~ अधिनियम में दिये गये इस प्रावधान के पीछे मंशा यह है कि वनों के अन्दर अथवा उनके समीप रहने वाले ग्रामीणो एवं आदिवासियों को लघु वनोपजों, जिन पर उनकी आजीविका निर्भर है, के संग्रहण एवं उपयोग का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो । इसी उद्देश्य से पेसा अधिनियम में पंचायतों/ग्राम सभाओं, जो कि ग्रामवासियों की प्रतिनिधि प्रजातांत्रिक संस्थाये हैं, को लघु वनोपजो के स्वामित्व के अधिकार को सम्मिलित किया गया है । यहाँ पर उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश राज्य में तो पेसा अधिनियम के आने के बहुत पहले से ही राज्य शासन द्वारा ग्रामीणो को वनों से लघु वन उत्पादों के निःशुल्क संग्रहण के पूर्ण अधिकार दिये गये हैं जिनका वे निर्वाध रूप से उपयोग करते आ रहे हैं । वर्तमान में ग्रामीण संग्राहकों को पहले से ही लघु वनोपजों का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त है तथा वे इनके संग्रहण, उपयोग (तेंदूपत्ता, सालबीज तथा कुल्लू गोंद को छोड़कर) विक्रय अथवा अन्यथा निर्वर्तन हेतु भी पूर्ण स्वतंत्र हैं । उल्लेखनीय है कि पेसा अधिनियम के प्रावधान केवल संविधान के अनुच्छेद 244 (1) में निहित अनुसूचित क्षेत्रों पर ही लागू हैं । मध्यप्रदेश के कुल 270 विकासखण्डो में से केवल 89 विकासखंड ही अनुसूचित क्षेत्रो में आते हैं परन्तु राज्य शासन द्वारा पहले से ही पूरे प्रदेश में ग्रामीणों को लघु वनोपजों के स्वामित्व का अधिकार प्रदत्त है ।

11. **विनिर्दिष्ट वनोपजो के व्यापार पर राज्य शासन का एकाधिकार :** प्रदेश में तेंदूपत्ता दूरस्थ वन क्षेत्रों में रहने वाले लाखो ग्रामीणों की तथा पूर्व में राज्य शासन की रायल्टी के रूप में राजस्व का एक महत्वपूर्ण श्रोत रहा है । शासकीय वन क्षेत्रों से तेंदूपत्ता की अवैध निकासी रोकने एवं तेंदूपत्ता संग्राहकों को बिचौलियो के संभावित शोषण से मुक्ति दिलाने हेतु वर्ष 1964 में मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम पारित किया गया । इसी प्रकार कतिपय अन्य काष्ठ एवं अकाष्ठीय वनोपजो के व्यापार को लोकहित में विनियमित करने और तदर्थ उस व्यापार में राज्य का एकाधिकार उत्पन्न करने के लिये वर्ष 1969 में मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 पारित किया गया । वर्तमान में इस अधिनियम के अन्तर्गत लघु वनोपजों में से केवल सालबीज तथा कुल्लू गोंद ही राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट (राष्ट्रीयकृत) वनोपज घोषित किये गये हैं ।

12. **लघु वनोपज संघ की स्थापना तथा लघु वनोपजों के विकास, संग्रहण एवं विपणन हेतु त्रि–स्तरीय सहकारी ढाँचे का गठन :** प्रदेश में लघु वनोपजों के संग्रहण मे लगे लाखों आदिवासियों एवं अन्य गरीब संग्राहकों को बिचौलियो के शोषण से मुक्ति दिलाने, उन्हें उनके परिश्रम का उचित पारिश्रमिक दिलाने एवं लघु वनोपजों का विकास करने के उद्देश्य से वर्ष 1984 में म.प्र. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ का गठन किया गया । यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1984 के पूर्व राज्य शासन द्वारा तेंदूपत्ता एवं अन्य लघु वनोपजों का संग्रहण एवं व्यापार कतिपय अन्य संस्थाओं के माध्यम से कराया गया था जिसमें राज्य शासन को राजस्व की काफी हानि हुई थी । अतः शासन स्तर पर यह सोच विकसित हुई कि यदि लघु वनोपज संग्राहकों की ही सहकारी समितियाँ बन जायें तो सहकारी ढाँचे के अन्तर्गत तेंदूपत्ता एवं अन्य लघु वनोपजों का व्यापार सफलतापूर्वक किया जा सकेगा, जिससे राज्य शासन को राजस्व की हानि भी नही होगी तथा सहकारी समितियों के संग्राहक सदस्यों को वनोपज संग्रहण का उचित पारिश्रमिक भी प्राप्त हो सकेगा । इस परिप्रेक्ष्य में विभिन्न

क्षेत्रीय स्तरों पर इस विचार का अनुसरण करते हुये संग्राहकों द्वारा सहकारी समितियों के रूप में संगठित होने के प्रति रूझान प्रदर्शित किया गया तथा संग्राहकों द्वारा शासन की प्रेरणा से स्वयं ही प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियाँ गठित की गई । इस कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने तथा लघु वनोपजों के संग्रहण एवं व्यापार का सहकारीकरण करने के उद्देश्य से वर्ष 1988 में प्रदेश में लघु वनोपजों के विकास, संग्रहण एवं व्यापार हेतु एक त्रि–स्तरीय संरचना स्थापित की गई । इसके अन्तर्गत लघु वनोपजों के संग्राहको ने ग्राम–समूह स्तर पर प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों का गठन किया । वर्तमान में प्रदेश में 1066 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां कार्यरत हैं । एक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति लगभग 10 से 15 गांवो के बीच है । लघु वनोपजों के संग्रहण में लगे सभी आदिवासी एवं अन्य ग्रामीण संग्राहक इन समितियों के सदस्य हैं । वर्तमान में प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों की सदस्य संख्या लगभग 31 लाख 81 हजार है । त्रि–स्तरीय सहकारी संरचना के अगले क्रम में जिला वनोपज सहकारी यूनियन हैं । इन जिला यूनियनों के संचालक मण्डलों में प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं तथा संबंधित क्षेत्रीय वन मण्डल के वन मंडलाधिकारी इसके पदेन प्रबंध संचालक होते हैं । वर्तमान में प्रदेश मे 61 जिला यूनियन कार्यरत हैं । त्रि–स्तरीय संरचना के शीर्ष स्तर पर म.प्र.राज्य लघु वनोपज संघ हैं जिसके अध्यक्ष एवं संचालक, जिला यूनियनों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं ।

13. इस त्रि–स्तरीय सहकारी संरचना के अन्तर्गत प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों द्वारा ही लघु वनोपजों के संग्रहण का कार्य किया जा रहा है तथा विगत 23 वर्षों में उन्होंने अच्छा कार्य करते हुए अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है । लघु वनोपज संघ एवं जिला वनोपज सहकारी यूनियनों की भूमिका सुविधादायक (Facilitator) की है, जिसके अन्तर्गत लघु वनोपजो के संरक्षण, संग्रहण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन (Valu addition) भण्डारण एवं परिवहन हेतु आवश्यक अधोसंरचना का विकास, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के सदस्य संग्राहकों की क्षमता का विकास (Capacity building). लघु वन उत्पादों के व्यापार की व्यवस्था, अनुसंधान एवं विकास सम्मिलित हैं ।

14. पेसा अधिनियम के कियान्वयन हेतु लघु वन उत्पादों से प्राप्त आय के वितरण की व्यवस्था : पेसा अधिनियम के कियान्वयन हेतु म.प्र. शासन, वन विभाग के पत्र कमांक/एफ–26/8/97/10–3, दिनांक 15.05.1998 द्वारा निर्णय लिया गया कि लघु वनोपजों का संग्रहण एवं व्यापार पूर्ववत सहकारी समितियों एवं लघु वनोपज संघ की देखरेख में किया जावेगा तथा समस्त खर्च घटाने के बाद सम्पूर्ण शुद्ध आय सहकारी समितियों को दी जायेगी । समितियां इस शुद्ध आय का कम से कम 20 प्रतिशत भाग वनों के पुनरूत्पादन पर वन विभाग की देखरेख में लगायेंगी, कम से कम 50 प्रतिशत भाग संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित मात्रा के अनुपात में बांटेगी तथा शेष राशि स्वविवेकानुसार ग्राम की मूलभूत सुविधाओं के विकास में लगा सकेगी अथवा संग्राहकों को पत्ता संग्रहण के अनुपात में वितरित कर सकेंगी । यह व्यवस्था अनुसूचित क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण प्रदेश में लागू की गई । यह भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि लघु वनोपज सहकारी समितियों/जिला यूनियनों के सदस्य एवं पदाधिकारी केवल वही व्यक्ति होंगे जो कि लघु वनोपज के वास्तविक संग्राहक है ।